दिनांक 05.11.2024
प्रेस विज्ञप्ति 07/2024

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर/थाना सेक्टर–24

- **25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनॉकः 05.11.2024 को थाना सेक्टर–24 पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर 54 टी प्वाइंट के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त रिजवान को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना सेक्टर–24 पर पंजीकृत गैंगेस्टर एक्ट के अभियोग में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर के विभिन्न थानों पर चोरी, गैंगेस्टर एक्ट आदि के कई अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना सेक्टर–24 पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–रिजवान निवासी मोहल्ला जुम्मा कस्बा जानसठ थाना जानसठ जनपद मुजफ्फरनगर हालपता–ग्राम बरौला थाना सेक्टर–49, गौतमबुद्धनगर।

जनपद गोरखपुर/थाना खजनी

- **15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 15.11.2024 को थाना खजनी पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर नन्दापार तिराहे के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त शनि उर्फ झित्रन उर्फ वशिष्ठ मुनी को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना खजनी पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना खजनी पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—शनि उर्फ झित्रन उर्फ वशिष्ठ मुनी निवासी ग्राम माल्हनपार थाना बांसगांव जनपद गोरखपुर।

जनपद हापुड़/थाना बाबूगढ़

- **लूट की घटना का अनावरण**
- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट के 01 लाख 19 हजार 700 रूपये नगद बरामद**

दिनांक 05.11.2024 को थाना बाबूगढ़ पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बनखण्डा पेट्रोलपम्प के पास से अभियुक्त सौरव को गिरफ्तार कर लूट की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से लूट के 01 लाख 19 हजार 700 रूपये नगद बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 04.11.2024 को थाना बाबूगढ़ क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना बाबूगढ़ पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपया उक्त घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना बाबूगढ़ पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—सौरव निवासी शमशाबाद थाना औरंगाबाद जनपद बुलन्दशहर।

बरामदगी

1—लूट के 01 लाख 19 हजार 700 रूपये नगद।

जनपद कुशीनगर/थाना विशुनपुरा

- **05 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 30 लाख रूपये कीमत के चोरी के 115 मोबाइल फोन**
- **14 हजार 620 रूपये नगद**
- **02 मोटर साइकिल आदि बरामद**

दिनांक 05.11.2024 को थाना विशुनपुरा व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर 05 अभियुक्तों 1–विक्की कुमार 2–संतोष 3–जहाँगीर 4–स्वास्तम कुमार 5–कैलाश को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 30 लाख रूपये कीमत के चोरी के 115 मोबाइल फोन, 14 हजार 620 रूपये नगद, 02 मोटर साइकिल आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जो भीड़–भाड़ वाले स्थानो से मोबाइल फोन चोरी कर उसका यूपीआई जनरेट कर साइबर अपराधियों के माध्यम से पैसा ट्रांसफर करा लेते है तथा उक्त चोरी के मोबाइल फोन को झारखण्ड, विहार, बंगाल में सस्ते दामो पर बेच देते है।

इस सम्बन्ध में थाना विशुनपुरा पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–विक्की कुमार निवासी महराजपुर नया टोला थाना तेलझाड़ी जनपद साहबगंज झारखण्ड।

2–संतोष निवासी गौरा थाना कटेया जनपद गोपालगंज बिहार।

3–जहाँगीर निवासी करारी चाँदपुर हरकला टोला थाना कलिया चल जनपद मालदा पश्चिम बंगाल।

4–स्वास्तम कुमार निवासी तौरसिया सीज थाना अहदाबाद जनपद कटिहार बिहार।

5–कैलाश निवासी महराजपुर थाना तेलझाड़ी जनपद साहबगंज झारखण्ड।

बरामदगी

1–लगभग 30 लाख रूपये कीमत के चोरी के 115 मोबाइल फोन।

2–14 हजार 620 रूपये नगद।

3–02 मोटर साइकिल आदि।

जनपद बाराबंकी/थाना कोतवाली नगर

- **09 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के सोने–चाँदी के आभूषण**
- **चोरी के 13 हजार 410 रूपये नगद बरामद**

दिनांक 05.11.2024 को थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर 09 अभियुक्तों 1–संदीप 2–अभिषेक कुमार 3–गणेश 4–जीतन 5–रंजीत कुमार 6–पालो 7–हरचुली 8–अक्षय 9–अभियुक्ता को गिरफ्तार किया गया एवं 02 बाल अपचारी को पुलिस संरक्षण में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी के सोने–चाँदी के आभूषण, चोरी के 13 हजार 410 रूपये नगद बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी है, जिनके पास से बरामद आभूषण, रूपया आदि चोरी की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–संदीप निवासी ग्राम साहब टोला थाना बिहिया जनपद आरा बिहार।

2–अभिषेक कुमार निवासी ग्राम फुलवारी थाना चुनार जनपद मिर्जापुर।

3–गणेश निवासी साहब टोला थाना बिहिया जनपद आरा बिहार।

4–जीतन निवासी ग्राम सबरीनगर महावीर टोला थाना रूपसपुर जनपद पटना बिहार।

5–रंजीत कुमार निवासी ग्राम सबरीनगर महावीर टोला थाना रूपसपुर जनपद पटना बिहार।

6–पालो निवासी विक्रम गंज पटेल नगर जनपद रोहताश बिहार।

7–हरचुली निवासी ग्राम साहब टोला थाना बिहिया जनपद आरा बिहार।

8–अक्षय निवासी ग्राम साहब टोला, थाना बिहिया जनपद आरा बिहार।

9–अभियुक्ता।

बरामदगी

1–चोरी के सोने–चाँदी के आभूषण।

2–चोरी के 13 हजार 410 रूपये नगद।

जनपद आजमगढ़/थाना तरवा

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 03 लाख रूपये कीमत के चोरी के 01 अजना, 03 जम्फर, केवल व 01 एसएफपी आदि बरामद**

दिनांक 05.11.2024 को थाना तरवा पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम बेलहाडीह के पास से 02 अभियुक्तों 1–प्रशान्त उर्फ गोलू 2–रणविजय उर्फ ओम को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 03 लाख रूपये कीमत के चोरी के 01 अजना, 03 जम्फर, केवल व 01 एसएफपी आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिनके विरूद्ध जनपद के विभिन्न थानो में चोरी आदि के 14 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना तरवा पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–प्रशान्त उर्फ गोलू निवासी हरई रामपुर थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़।

2–रणविजय उर्फ ओम निवासी हरई रामपुर थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़।

बरामदगी

1–लगभग 03 लाख रूपये कीमत के चोरी के 01 अजना, 03 जम्फर, केवल व 01 एसएफपी आदि।

जनपद गोण्डा/थाना कोतवाली नगर

- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 25 लाख 30 हजार रूपये कीमत के 101 किलो 200 ग्राम अवैध गांजा**
- **घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल बरामद**

दिनॉकः 04/05.11.2024 की रात्रि थाना कोतवाली नगर व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर महादेव रेलवे क्रासिंग ओवर ब्रिज के पास

से 1—रवि उर्फ सुड्डू को गिरफ्तार किया गया तथा 01 बाल अपचारी को पुलिस संरक्षण में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से लगभग 25 लाख 30 हजार रूपये कीमत के 101 किलो 200 ग्राम अवैध गांजा, घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल बरामद हुयी।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त रवि उर्फ सुड्डू के विरूद्ध जनपद बस्ती के विभिन्न थानों पर हत्या का प्रयास, एनडीपीएस एक्ट के आधा दर्जन अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1—रवि उर्फ सुड्डू निवासी मुरादीपुर, हरैया जनपद बस्ती।

<u>बरामदगी</u>

1—लगभग 25 लाख 30 हजार रूपये कीमत के 101 किलो 200 ग्राम अवैध गांजा।

2—घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल।

- **<u>जनपद हमीरपुर/थाना बिवांर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 05 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद हमीरपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद हमीरपुर द्वारा थाना बिवांर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त सियाराम को आजीवन कारावास व 05 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद बांदा/थाना बिसण्डा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तो को 20—20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 12—12 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद बांदा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बांदा द्वारा थाना बिसण्डा पर पंजीकृत अभियोग में धारा 506 भादवि व 6 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त 1—बाबूलाल 2—सुरेन्द्र को 20—20 वर्ष के कठोर कारावास व 12—12 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

————